(14)

(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1270–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–2–2012 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त देवतालाब जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक–6/अ–5/2008–09.

.....

छोटकू पिता सुखदेव काछी
निवासी ग्राम शुकुलगावां थाना लौर जिला रीवा

------आवेदक

विरूद्ध

1. रामलखन पिता उधौ काछी साकिन शुकुलगवां
2. रामानुज पिता मनबोधी काछी सा0 शुकुलगवां
3. शंकर तनय मनबोधी काछी साकिन शकुलगवां
4. फगुनी बेवा मनगोधी कछी साकिन शुकुलगवां
   थाना लौर जिला रीवा म0प्र0

------अनावेदकगण

.....

श्री हेम कुमार अग्निहोत्री, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक २१/६/१६ को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त देवतालाब जिला रीवा के आदेश दिनांक 8–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक छोटकू द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रश्नाधीन भूमियों के नक्शा तरमीम के सुधार किये जाने हेतु इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि आवेदिका भूमि के भूमिस्वामी आवेदक दर्ज है। अनावेदकगण द्वारा आवेदक के गैर जानकारी में चौरी छिपे जहां पर आवेदक का कब्जा दखल है नक्शा तर्मीम करा लिया है जिसे सुधार किया जाये। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 6/अ–5/08–09 में पारित आदेश दिनांक 8–2–12

के द्वारा आदेवक का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं, परन्तु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित पूर्व से ही नक्शा कायम था, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन होना नहीं किया गया है। नक्शा संशोधन में लाल स्याही से संशोधन दर्ज किये जाता है परन्तु अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि किसी प्रकार का नक्शा संशोधन दर्ज किया गया हो। आवेदक ऐसा कोई दस्तावेजा अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है जिसे यह प्रमाणित होता हो कि प्रश्नाधीन भूमि का नक्शा संशोधन किया गया है। नायब तहसीलदार ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि उभय पक्ष के मध्य आपसी बटवारा पूर्व में हो गया था और आपसी बटवारे के अनुसार ही नक्शा तर्मीम की कार्यवाही हुई थी। आवेदक द्वारा उत्पन्न किये गये विवाद का कारण महत्वपूर्ण भूमि के कब्जे में लेना है। पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट अनावेदक के पक्ष में है। इन्हीं कारणों से नायब तहसीलदार ने आवेदक का नक्शा संशोधन हेतु आवेदन निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है। नायब तहसीलदार का आदेश स्पष्ट तथा विस्तृत है, जिसमें परिवर्तन का कोई कारण नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार वृत्त देवतालाब जिला रीवा के आदेश दिनांक 8–2–2012 स्थिर रखा जाता है।

29/8/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर